मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून (उत्तराखण्ड)
E-Mail:- msukpcb@yahoo.com

यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा0-546/2022/1536, दिनांक 24.12.2022

कार्यालय आदेश

जैसा कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 यथासंशोधित के अन्तर्गत समस्त Producers/Importers /Brand Owners को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के Centralized Online EPR Portal (http://eprplastic.cpcb.gov.in) के माध्यम से ई0पी0आर0 रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया जाना आवश्यक है। उक्त पोर्टल को उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित OCMMS Portal से Integrate किया गया है जिससे CCA (Consolidated Consent and Authorization) की वैधता स्वतः ही केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ई0पी0आर0 पोर्टल में प्रदर्शित हो जाती है। किन्तु ऐसे उद्योगों द्वारा जिन्हें पूर्व में XGN-Ganga Portal के माध्यम से CCA निर्गत है एवं वर्तमान में भी वैध है, का Producers/Importers/Brand Owners के रूप ई0पी0आर0 रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है।

एतद्द्वारा ऐसे उद्योग जिन्हें XGN-Ganga Portal से CCA प्राप्त है एवं वर्तमान में भी वैध है, को OCMMS Portal के माध्यम से CCA निर्गत की जानी है। ऐसे उद्योगों को htpps://investuttarakhand.uk.gov.in (Single Window Clearance System) के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर OCMMS के माध्यम से CCA हेतु आवेदन किया जाना होगा तथा उक्त आवेदन को सहमति शुल्क एवं निरीक्षण के बिना सक्षम स्तर से CCA (वैधता अवधि तक) निर्गत की जायेगी तथा पूर्व में निर्गत CCA आदेश की छायाप्रति ही OCMMS Portal पर अपलोड की जायेगी।

समस्त क्षेत्रीय अधिकारी एवं बोर्ड मुख्यालय के सम्बन्धित अधिकारी उपरोक्त का अनुपालन करते हुऐ सम्बन्धित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित करेगें।

(एस0 के0 पटनायक)
सदस्य सचिव।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड मुख्यालय, देहरादून।
2. पर्यावरण अभियंता/सहा0वैज्ञानिक अधिकारी/सहा0 पर्यावरण अभियंता, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड मुख्यालय, देहरादून।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून/रूड़की/काशीपुर/हल्द्वानी।
4. सूचना अधिकारी, इनविस, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को इस निर्देश के साथ की कार्यालय आदेश की प्रति राज्य बोर्ड की वैवसाईड में अपलोड करना सुनिश्चित करें।
5. गार्ड फाईल।

सदस्य सचिव।